रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 125] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 18, 1977 आषाढ़ 27, 1899

No. 125] NEW DELHI, MONDAY, JULY 18, 1977/ASADHA 27, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR

RESOLUTION

New Delhi, the 18th July 1977

No. S-61011/3/77-DIA—In pursuance of a recommendation made by the Tripartite Labour Conference held on the 6th-7th May, 1977, the Government of India have decided to set up a Committee on Comprehensive Industrial Relations Law and Composition of the Indian Labour Conference consisting of the following persons :—

Chairman

Shri Ravindra Varma,
Minister of Labour and Parliamentary Affairs.

Members

1. Shri N. M. Barot,
   Labour Minister, Gujarat
2. Shri B. N. Waghray,
   Labour Commissioner, Andhra Pradesh.
3. Shri I. C. Kumar,
   Labour Secretary, Bihar
4. Shri Vaman Sardessai,
   Labour Commissioner, Goa.

5. Shri P D. Kasbekar,
Labour Secretary, Maharashtra

6 Shri G Kamalaratnam,
Labour Commissioner, Tamil Nadu

7 Shri Brij Nandan Swarup,
Labour Secretary, Uttar Pradesh

8. Shri S. N. Roy,
Deputy Secretary, Labour Department, West Bengal.

9. Shri G. N Mehra,
Joint Secretary, Department of Industrial Development.

10. Shri Jagdish Lal,
Director (Establishment), Railway Board.

11. Shri D. D Puri,
Employers' Federation of India.

12 Shri P. C Mehta,
Employers' Federation of India

13. Shri K N Modi,
All India Organisation of Employers.

14. Shri G B Pai,
All India Organisation of Employers

15. Shri Miroo R. Shroff,
All India Manufacturers' Organisation.

16. Shri B D. Somani,
All India Manufacturers' Organisation

17. Shri R. P Billimoria,
Central Public Sector.

18. Shri B. L. Wadhera,
Central Public Sector.

19. Shri K. Jai Singh,
Central Public Sector

20. Shri B N. Baliga,
State Public Sector

21. Shri G Ramanujam,
Indian National Trade Union Congress

22. Shri K G Srivastava,
All India Trade Union Congress.

23 Shri Mahesh Desai,
Hind Mazdoor Sabha

24. Shri Jatin Chakravorty,
Public Works and Housing Minister, West Bengal,(representing United Trades Union Congress)

25. Shri D. B. Thengadi,
Bhartiya Mazdoor Sangh.

26. Shri V N Sane,
Hind Mazdoor Panchayat

27. Shri P. Ramamurti,
Centre of Indian Trade Unions.

28. Shri Pritish Chanda,
United Trades Union Congress-Lenin-Sarani

29. Shri Naren Sen,
National Front of Indian Trade Unions.

30. Shri A N Buch,
National Labour Organisation

2 The Secretariat will be provided by the Ministry of Labour

3 The terms of reference of the Committee will be as follows —

(1) To study—

(a) the existing provisions of the Central and State Laws concerning trade unions, industrial disputes/relations and standing orders,

(b) non-statutory schemes such as the Code of Discipline in Industry, criteria and procedures for recognition of trade unions; rights of recognised and unrecognised unions, and unfair labour practices on the part of employers, workers and trade unions, and

(c) recommendations of the National Commission on Labour.

(2) To make recommendations in regard to the broad framework of a comprehensive Law on industrial relations with special reference to the following —

(i) the categories of workmen (including public servants) and industries to which the suggested legislation should apply,

(ii) the organisation, structure and functions of the Industrial Relations Machinery so as to make it an effective instrument for the maintenance of industrial peace through the promotion of collective bargaining and for the settlement of industrial disputes through mediation, conciliation, arbitration or adjudication,

(iii) the conditions for registration of unions and listing of unfair labour practices on the part of workers/unions and employers;

(iv) the method of determining the representative character of trade unions for the purpose of recognition as bargaining agent by management in a unit or industry including the question of constituting a juridical sole bargaining agent with universal membership of all the workmen employed therein or any variation thereof, such as collegiate bargaining agent with proportional representation of various unions, possibly through secret ballot.

(3) The Committee will also recommend changes in labour laws[not covered by paragraph 3(i)]that may be considered necessary in the light of the proposed framework of the comprehensive law on industrial relations

(4) The Committee will also review the existing composition and pattern of representation of the national tripartite advisory forums-such as the Indian Labour Conference and the Standing Labour Committee—and recommend the changes that may be necessary, keeping in view the existance of various workers' and employers' organisations (including management in public sector) at the national level.

(5) The Committee will submit its report to Government of India within a period of two months

(6) The Committee may devise its own procedure and call for such information and take such evidence as it may consider necessary.

D. BANDYOPADHYAY Jt Secy

श्रम मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1977

सं० एस–61011/3/77–डी०आई०ए०.—6–7 मई, 1977 को हुए त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशो के अनुसरण मे, भारत सरकार ने व्यापक औद्योगिक सबध कानून तथा भारतीय श्रम सम्मेलन के गठन के सबंध मे निम्नलिखित व्यक्तियो की एक समिति गठित करने का निर्णय किया है .——

अध्यक्ष

श्री रवीन्द्र वर्मा,

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री ।

सदस्य

1. श्री एन० एम० बरोट,
   श्रम मंत्री, गुजरात ।

2 श्री बी० एन० दाघरे,
श्रमायुक्त, आंध्र प्रदेश ।

3 श्री आई० सी० कुमार,
श्रम सचिव, बिहार ।

4 श्री वामन सरदेसाई,
श्रमायुक्त, गोवा ।

5 श्री पी० डी० कसबेकर,
श्रम सचिव, महाराष्ट्र ।

6 श्री जी० कमलारत्नम्,
श्रमायुक्त, तामिल नाडु ।

7 श्री ब्रिज नन्दन स्वरूप,
श्रम सचिव, उत्तर प्रदेश ।

8. श्री एस० एन० राय,
उप सचिव, श्रम विभाग, पश्चिम बंगाल ।

9. श्री जी० एन० मेहरा,
सयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास विभाग ।

10. श्री जगदीश लाल,
निदेशक (स्थापना) रेलवे बोर्ड ।

11. श्री डी० डी० पुरी,
भारतीय नियोजक महा संघ ।

12 श्री पी० सी० मेहता,
भारतीय नियोजक महा सघ ।

13. श्री के० एन० मोदी,
अखिल भारतीय नियोजक सगठन ।

14 श्री जी० बी० पै,
अखिल भारतीय नियोजक संगठन ।

15. श्री मीनू आर० श्रोफ,
अखिल भारतीय निर्माता सगठन ।

16. श्री बी० डी० सोमानी,
अखिल भारतीय निर्माता सगठन ।

17 श्री आर० पी० बिल्लिमोरिया,
केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र ।

18 श्री बी० एल० बडेहरा,
केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र ।

19. श्री के० जय सिंह,
केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र ।

20 श्री बी० एन० बालिगा,
राज्य सरकारी क्षेत्र ।

21 श्री जी० रामानुजम,
राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ।

22 श्री के० जी० श्रीवास्तव,
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ।

23 श्री महेश देसाई,
हिन्द मजदूर सभा ।

24. श्री जतिन चक्रवर्ती,
लोक निर्माण तथा आवास मंत्री,
पश्चिम बंगाल । (यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रतिनिधि) ।

25 श्री डी० बी० ठेंगडी,
भारतीय मजदूर संघ ।

26 श्री वी० एन० साने,
हिन्द मजदूर पंचायत ।

27 श्री राममूर्ति,
भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र ।

28 श्री प्रितिश चन्दा,
यूनाइटिड ट्रेड यूनियन कांग्रेस-लेनन-सारणी ।

29 श्री नारेन सेन,
नेशनल फ्रण्ट आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स ।

30 श्री ए० एन० बुच,
राष्ट्रीय श्रम संगठन ।

2. सचिवालय की व्यवस्था श्रम मंत्रालय द्वारा की जाएगी ।

3. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(1) निम्नलिखित का अध्ययन करना —

(क) ट्रेड यूनियनों, औद्योगिक विवादों/संबंधों संबंधी केन्द्रीय तथा राज्य कानूनों के वर्तमान उपबन्ध तथा स्थायी आदेश,

(ख) गैर-सांविधिक योजनाएं जैसे कि उद्योग में अनुशासन संहिता, ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने संबंधी कसौटियां तथा प्रक्रियाएं; मान्यता प्राप्त व मान्यता न प्राप्त यूनियनों के अधिकार और नियोजकों, श्रमिकों व ट्रेड यूनियनों द्वारा किए जाने वाले अनुचित श्रम व्यवहार, तथा

(ग) राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशें ।

(2) निम्नलिखित के विशेष संदर्भ मे औद्योगिक सबधो के बारे मे व्यापक कानून की मुख्य रूप-रेखा के सबध मे सिफारिशें करना —

(i) कर्मकारो के वर्ग (सरकारी कर्मचारियो सहित) और वे उद्योग जिन पर सुझाया गया कानून लागू किया जाना चाहिए,

(ii) औद्योगिक सबध तत्र का सगठन, ढांचा तथा कार्य, ताकि सामूहिक सौदाकारी को प्रोत्साहन देकर औद्योगिक शांति बनाए रखने तथा मध्यस्थता, समझौते, विवाचन अथवा न्याय-निर्णय द्वारा औद्योगिक विवादो को निपटाने के लिए इसे एक सक्रिय उपकरण बनाया जा सके ;

(iii) यूनियनो के पजीकरण व श्रमिको यूनियनो तथा नियोजको द्वारा किए गए अनुचित श्रम व्यवहारो की सूचिया बनाने की शर्तें ;

(iv) किसी एकक अथवा उद्योग मे प्रबन्धको द्वारा बारगेनिग एजेंट के रूप मे मान्यता देने के लिए ट्रेड यूनियनो के प्रतिनिधि स्वरूप का निर्धारण, सभवत गुप्त मतदान से करने की प्रणाली। किसी एकक अथवा उद्योग के सभी कर्मकारो की सर्वव्यापी सदस्यता मे एक-मात्र न्यायिक बारगेनिग एजेंट की स्थापना करने का प्रश्न अथवा उसमे कोई परिवर्तन जैसे विभिन्न यूनियनो की आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के साथ कौलिजिएट बारगेनिग एजेंट की स्थापना भी शामिल है।

(3) यह समिति ऐसे श्रम कानूनो [जो पैराग्राफ 3(1) के अन्तर्गत नही आते] मे परिवर्तन की भी सिफारिश करेगी जो व्यापक औद्योगिक सबधो के कानून की प्रस्तावित रूप-रेखा के प्रकाश मे आवश्यक समझे जाए।

(4) यह समिति राष्ट्रीय त्रिपक्षीय सलाहकार मचो जैसे भारतीय श्रम सम्मेलन तथा स्थायी श्रम समिति मे प्रतिनिधित्व के वर्तमान नमूने व गठन की पुनरीक्षा भी करेगी और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न श्रमिको व नियोजको के संगठनो (सरकारी क्षेत्र के प्रबन्धको सहित) की वर्तमान विद्यमानता को दृष्टि मे रख कर आवश्यक परिवर्तनो की सिफारिश करेगी।

(5) यह समिति अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दो महीने के अन्दर प्रस्तुत करेगी।

(6) यह समिति अपनी प्रक्रिया स्वयं निश्चित कर सकती है और ऐसी सूचना मगा सकती है तथा ऐसी गवाही ले सकती है जैसी कि यह आवश्यक समझे।

डी० बन्द्योपाध्याय, सयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977